5/8/24

उपायुक्त

सहायक कलक्टर मुख्यालय
सीतापुर (राज०)

20/8/24

(3)

20/8/24

वकील अप्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी एवं इनके वकील उपस्थित नहीं। अप्रार्थी संख्या 1 के काफी मुकाम कार्यवाही हेतु प्रार्थी एवं उनके वकील को कई बार आवाज लगाई गई। पूर्व में भी उन्हें कई अवसर दिये जा चुके है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 5 के प्रावधानो के अन्तर्गत खारिज किया जाता है। प्रार्थी फैसलशुदा होकर संलग्न मूलवाद रहे।